प्रेस-विज्ञप्ति

दीव के मलाला ऑडिटॉरियम में हुआ दीव जिला एवं ग्राम पंचायत के आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ

दीव 7 अक्टूबर, 2020 : दीव के जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए आरक्षित सीटों के निर्धारण हेतु बैठक का आयोजन हुआ और साथ ही ड्रॉ के साथ आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार ने की और इस दौरान रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का चयन किया गया। इस दौरान चुनाव आयुक्त के अलावा दीव जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय, उप-समाहर्ता, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जन-प्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सीटों के आरक्षण हेतु बैठक का आयोजन अपराह्न 3.00 बजे हुआ। सभी राजनीतिक पार्टियों और सदस्यों की मौजूदगी में रोटशन प्रक्रिया के आधार पर जिला पंचायत की 08 सीटों में 50 प्रतिशत अर्थात् 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसी तरह दीव के 42 ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सदस्यों में कुल 50 प्रतिशत से ज्यादा अर्थात 23 सीटें इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इन सीटों में वणांकबारा और जोलावाडी ग्राम पंचायत के सरपंच की सीटें महिलाओं के लिए, जबकि साउदवाडी और बुचरवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच की सीटें अनारक्षित घोषित की गई हैं।

आज की रोटेशन प्रक्रिया के बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि आगामी ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत की कौन-कौन सी सीटें आरक्षित हैं और कौन-कौन सी सीटें अनारक्षित हैं। इस अवसर पर संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार ने सभी का धन्यवाद किया ।